

No. 22/37/2021-Welfare
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

2nd Floor, Jeevan Deep Building,
Parliament Street, New Delhi, the 23rd August, 2021.

To,

Bihar-851129

Subject: Information sought under RTI Act, 2005.

Sir,

With reference to your RTI application dated 03.02.2021 received on transfer from Coordination Section of this Department on 11.08.2021, it is informed that the information sought closely relates to IF-II, FI and RRB Sections of this Department and all PSBs/PSICs/PFIs. Hence, RTI application is being transferred to IF-II, FI and RRB Sections of this Department and all PSBs/PSICs/PFIs under section 6(3) (ii) of the RTI Act, 2005 for providing requisite information directly to the applicant. Further, the queries/clarification or interpretation of information is outside the purview of the Right to Information Act, 2005.

2 Shri Gurdeep Singh, Deputy Secretary in this Department is the Appellate Authority (AA).

Yours faithfully



(Saroj Singh)

CPIO/Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 011- 23362128

Copy to: (along with a copy of above mentioned RTI application, with a request to provide requisite information directly to the applicant.)

1. CPIO/Under Secretary (IF-II), DFS.
2. CPIO/Under Secretary (FI), DFS.
3. CPIO/Under Secretary (RRB), DFS.
4. PIO/MD & CEO, all PSBs/PSICs/PFIs.

(Saroj Singh)
CPIO/Under Secretary to the Govt. of India

12/1/2021

केन्द्रीय, भारत सरकार

वित्तिय सेवा विभाग

(समन्वय अनुभाग)

761

तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली,

दिनांक: 08/07/2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचनाकाराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कु/श्रीमति/श्री

आवेदन के संबंध में।

कु/श्रीमति/श्री

ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 03/04/2021 का आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस विभाग के समन्वय अनुभाग में दिनांक 07/07/2021 को प्राप्त हुआ है जो Welfare से संबंधित है। इसे सूचनाकाराधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें हस्तांतरित किया जाता है।

2. मंत्रालय/विभाग/-कार्यालय द्वारा उक्त नियत समय-सीमा में सीधे आवेदक को भेजा जाए। यह भी अनुरोध किया जाता है की यदि यह आर.टी.आई. आवेदन आपसे संबंधित नहीं है तो इसे संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को हस्तांतरित किया जाए।

सी.पी.आई.ओ. एवं जवर सचिव (समन्वय), भारत सरकार
(अभियंता वर्ग)
दूरभाष : 23743760

सेवा में

श्रीमति/श्री Saroj Devi Chauhan

जवर सचिव, आर.टी.आई.,

विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली, Welfare अनुभाग, वित्तिय सेवा

श्रीमति/श्री जवर सचिव, आर.टी.आई., प्रकोष्ठ,
नई दिल्ली

मंत्रालय/विभाग,

पतिलिपि

सूचना

निवासी

आमले में अतिरिक्त व्यक्तियों के त्रि-आयक संपर्क करने के परामर्श के साथ सूचना दी।

Recd. 11.8.2021

Welfare
IMMEDIATE/RTI MATTER

No. 2/2/2021- RTIC/P/00836
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001
Dated 05th April, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of RTI application under RTI Act, 2005

An RTI application of dated 03.02.2021 (reg. No. DOP&T/R/2021/00836), received from the Department of Social Justice and Empowerment, vide their letter No. CC-17020/1/2021-Corporate Cell, dated 02.03.2021, is being transferred under Section 6(3) of the RTI Act 2005, to the , Department of Financial Services, National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes and Department of Expenditure, as the subject matter of information sought pertains to the aforementioned public authority also to provide any compiled information, in their records if available. The RTI Application is also being forwarded to the CPIO concerned of this Department to provide information as available in the records of DOP&T. Further it is informed that the subject matter of information sought regarding total number of employees engaged in all Ministries on outsourced basis appears to be scattered across all public Authorities. However the RTI Application is being transferred to the Public Authorities/CPIOs to provide you information in respect of the Department of Personnel & Training.

Encl.: as above.



Sushil Kumar Mishra

(Sushil Kumar Mishra)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011 2309 2240

To

(1) The CPIO, RTI Cell, Department of Financial Services, Jeevandeep Building, Parliament Street, New Delhi-110001.	(2) The CPIO, RTI Cell, National Commission for Scheduled Castes, 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi- 110003.	(3) The CPIO, RTI Cell, National Commission for Scheduled Tribes, 6th Floor, B-wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi- 110003.
(4) The CPIO, RTI Cell, Department of Expenditure, 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi- 110003.		

(4) CPIO & US (Res-I), DOPT

Copy for information to:-

E	<p>This is not a reply to your RTI application. Your RTI application is being transferred herewith by the RTI cell of DOPT to the CPIOs/Authorities/Ministries who/which are felt dealing with the subject and hence the appropriate CPIO/Authorities to give reply to your application. You are requested to follow up with the aforementioned public authority with reference to information sought by you.</p> <p>Further, the subject matter of information sought by you appears to be scattered across all public Authorities/State Governments and in terms of section 6 (1) & DOPT O.M.No.10/2/2008-IR dt 12/06/2008, Applicant may apply to concerned PA and obtain information. Nevertheless RTI is marked to CPIO concerned in DoPT and transferred under section 6 (3) to D/o Expenditure.</p> <p>1st appeal against the reply of the above Public Authorities may be filed with above Public Authorities directly. 1st Appeal against the above transfer of your RTI Application, may be filed with Shri Juglal Singh, Deputy Secretary (Admn.), DOP&T, North Block, New Delhi-110001 - Telefax - 23092338. within 30 days.</p>
---	---

सीसी-17020/1/2021-कारपोरेट सैल

भारत सरकार

Government of India,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice and Empowerment,

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

Department of Social Justice and Empowerment,

(सूची संशोधन प्रकोष्ठ- Revision of List Cell)

Shastri Bhawan, New Delhi/शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001.

Dated/दिनांक: 02/03/2021

① DFS
② US Res (I)

सेवा में

National
SC/ST

①, ②, ③
00836/1/21/12/1
30/3/21

9
30/3/21

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र- संबंधित

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 03/02/2021 (जो कि इस मंत्रालय के आरटीआई अनुभाग से उनके कार्यालय ज्ञापन दिनांक संख्या 110 /एफसी&आरटीआई/2021 दिनांक 25/02/2021 द्वारा प्राप्त हुआ है) का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में कथन है कि चाही गई सूचना अधोहस्ताक्षरी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है।

2. तथापि उक्त आर टी आई आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना यदि कोई उपलब्ध हो तो, प्रदान करने हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत श्री शम्भू शरण कुमार, उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली- 110001 इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं।


हरिओम

(हरिओम)

अवर सचिव, भारत सरकार एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रति:-

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 को उक्त आर टी आई आवेदन की एक प्रति के साथ इस अनुरोध के साथ कि मामले में सूचना, यदि कोई उपलब्ध हो तो, सीधे आवेदक को प्रदान की जाए।।



हरिओम

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी

No.110/FC&RTI/2021
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Department of Social Justice & Empowerment
(FC&RTI)


Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 25th February, 2021OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of RTI Application

Please find enclosed herewith RTI application o forwarded by Ministry of Home Affairs vide O.M. No.A-43020/01/2021-R.T.I. dated 11/02/2021 received in this office on dated 23/02/2021. The subject matter of the RTI application appears to pertain to RL Cell of Department of Social Justice and Empowerment and Ministry of Tribal Affairs. Hence, the RTI application is being transferred under Section 6(3) of RTI Act, 2005 for further necessary action.

Encl: A/A


(Paras Kumar Singh)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele phone: 011-23389368
E-mail- pk.singh72@nic.in

To.

1. Deptt. of Social Justice and Empowerment
(Kind Atten: Sh. Hariom, US & CPIO – RL)
Shastri Bhawan, New Delhi
2. Ministry of Tribal Affairs
(Kind Atten.: Nodal Officer and CPIO)
Shastri Bhawan, New Delhi

Copy for information to:

सो ए-43020/01/2021-आर.टी.आई - 791

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

264853

23/2/2021

E-Office C.R. Dy. No.dt.
Government of India

कार्यालय जापन

नई दिल्ली, दिनांक: 11/02/2021

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत
श्री..... के आवेदन का अंतरण।N/o. 110/FC&RTI/2021
23-02-2021

इस मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री
.....का दिनांक 03/02/2021 का आवेदन
.....से अंतरण प्राप्त हुआ है (इस मंत्रालय में
दिनांक 08/02/2021 को प्राप्त)।

2. चूंकि अपेक्षित सूचना..... मंत्रालय/कार्यालय से संबंध रखती
है/ के कार्यों से संबंधित है, अतः आवेदन को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के
अंतर्गत उस लोक प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए अंतरित किया जा रहा है। यह अनुरोध
किया जाता है कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य प्राधिकारी से संबंधित है, तो आवेदक को सूचित करते हुए
आवेदन को आगे केन्द्रीय लोक प्राधिकारी को कर दिया जाए।

3. आवेदक ने रसीद संख्या 50857..... दिनांक 10/01/2021 (प्रति संलग्न) के
माध्यम से 10/- रुपये का निर्धारित शुल्क अदा कर दिया है/ अदा नहीं किया है क्योंकि वह गरीबी रेशन
से नीचे के वर्ग से संबंधित है।

अनुलग्नक: यथोपरि

E-Office C.R. Dy. No.dt.
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
(Deptt. of Social Justice & Empowerment)

पी० एस० इंगवात

(पी० एस० इंगवात)

उपसचिव (ए.) एवं के.तो सू. आ.

दूरभाष: 23093029

सेवा में,

4/1/21
23/2/21
PL 604
n/o TA

सेवा में

श्रीमान केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी

गृह-मंत्रालय, भारत-सरकार

विषय - सूचना के अधिकार - 2005 के तहत
आवेदन

① मांगी गई सूचना - कितने एलसी/एलटी वर्ग के परिवारों ने आरक्षण का ~~कैसा~~ फायदा लिया और कितने वंचित हैं? (वर्ष 2017-18 के बजट के मुताबिक केंद्र सरकार 95,754 करोड़ रु. खर्च किए थे)

② मांगी गई सूचना या जानकारी, सूचना के अधिकार 19(1) के तहत देय है।

③ मांगी गई मानवाधिकार तथा अरक्षण से संबंधित है।


④ मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रु. का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ, जिसकी संख्या- 54 F 040575 है।

आपका विश्वास भजन

संलग्न

① 10 रु. का पोस्टल ऑर्डर

② दैनिक भास्कर
11 नवम्बर 2018
की धापापत्र



लोग
कॉपी
M/S. T. & C. W.
P.W.

Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22 (1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

50857

सं. /No.

श्री/श्रीमती/सुश्री

Received from Shri/Smt./Km.

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ

with Letter No./Reference No.

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या

Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No.

के रूप में रुपये की नकद धनराशि

the sum of Rupees by cash.

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।

in account of fee under Right to Information Act 2005.

दिनांक

Dated. 10/11 2021

दिनांक

Dated. 20 20

54 F04575


आद्यक्षर/Initials

पदनाम/Designation

रुपये /Rs. 101/-

दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन्स, 4 फुट से ज्यादा होती है ऊंचाई

बीबीसी ब्लू प्लेनेट की एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सू फ्लड की हाल ही में 'एम्परर : द पर्फेक्ट पेंगुइन' नाम की पुस्तक आई है। यह एंटार्टिका के पेंगुइन्स की एम्परर नस्ल पर केंद्रित है, जिन्हें पेंगुइन्स की सबसे बड़ी नस्ल माना जाता है। आमतौर पर पेंगुइन्स की ऊंचाई 30 से 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन एम्परर पेंगुइन्स की ऊंचाई 4 फुट से भी ज्यादा हो सकती है। 53 वर्षीय सू फ्लड ने इन तस्वीरों को कैद करने के लिए 20 बार एंटार्टिका की यात्रा की है। उन्हें अपनी तस्वीरों के लिए चार इंटरनेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं।



आरक्षण : 31 मंत्रालय, 584 योजनाएं, इस वर्ष 96 हजार करोड़ खर्च; कितना फायदा पता ही नहीं

■ इतना बड़ा मुद्दा, फिर भी सरकार सहित किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं

अमित कुमार निरंजन | नई दिल्ली

देश में 1956 से एससी/एसटी वर्ग के लिए आरक्षण लागू है। वर्ष 2017-18 के बजट के मुताबिक केन्द्र सरकार 31 मंत्रालयों के जरिए इन वर्गों के लिए 584 स्कीम चला रही है। वहीं इन योजनाओं पर इस वर्ष 95,754 करोड़ रु. खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन शर्मनाक और बेहद चौंकाने वाली बात ये है कि इतना पैसा खर्च करने और तमाम योजनाओं को चलाने व आरक्षण देने से आखिरकार एससी/एसटी वर्ग को कितना, क्या और कैसा फायदा हो रहा है, नहीं पता। इसका कोई हिसाब-किताब

सरकार या आरक्षण से जुड़ी दूसरी तमाम एजेंसियों के पास है ही नहीं। इस समय एससी वर्ग को 15 और एसटी वर्ग को 7.5 फीसदी आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिल रहा है।

इस गंभीर मुद्दे को खंगालते हुए भास्कर ने सरकार और आरक्षण की मांग या विरोध करने वाले संगठनों से दो सवाल पूछे। पहला- कितने एससी/एसटी वर्ग के परिवारों ने आरक्षण का फायदा लिया और कितने वंचित हैं? दूसरा- एससी/एसटी की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा क्या है? इन दोनों ही सवालों के पुरख्त जवाब किसी के पास नहीं मिले। सिर्फ योजनाओं के लाभ

बताने के मामले में ही 5 मंत्रालय थोड़ी-बहुत जानकारी दे पाए।

आरक्षण को लेकर हुए बड़े आंदोलनों में अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भास्कर ने करीब 10 राजनीतिज्ञों, 30 वर्तमान व रिटायर्ड आईएएस, 10 सामाजिक और राजनीतिक संगठनों और आंकड़े जुटाने वाले विशेषज्ञों से बात की। केन्द्रीय समाज कल्याण मंत्री थावर चंद गहलोत ने तो दो टूक कह दिया कि- यह आंकड़ा जुटाना असंभव है कि कितने दलितों-आदिवासियों को आरक्षण का फायदा हुआ या कितने वंचित रह गए। ऐसा कोई आंकड़ा मंत्रालय के पास नहीं है।

भास्कर ने पूछे दो सवाल

■ सवाल-1 : कितने एससी/एसटी वर्ग के परिवारों ने आरक्षण का फायदा लिया और कितने वंचित हैं?

■ सवाल-2 : एससी/एसटी की कल्याणकारी योजनाओं का नतीजा क्या है चार जिम्मेदारों के जवाब-

सरकार- यह पता लगाना बेहद मुश्किल। दलित संगठन- ऐसा कोई डाटा नहीं, लेकिन समाज का फायदा हुआ है।

सर्वधर्म संगठन- आंकड़े नहीं पता, लेकिन देश का नुकसान हुआ है।

विशेषज्ञ- आंकड़े अभी नहीं हैं, लेकिन जनगणना के समय डेटा जुटाना संभव है।